न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – नीता वसीटा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
027/2021 (GCMS 2020/0045)	05.03.2021	29.07.2022

अनवान

1. अब्दुल गफुर पिता मेहताब खां जाति मेवाती जाति मुसलामन आयु वयस्क निवासी राशमी तहसील थाना राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।
2. रजाक मोहम्मद पिता इदु स्या जाति मुसलामन आयु वयस्क निवासी राशमी तहसील थाना राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. लियाकत पिता रमजु जाति मुसलामन आयु वयस्क निवासी राशमी तहसील थाना राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।
2. रहमान पिता रमजु जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी राशमी तहसील थाना राशमी जिला चित्तौडगढ राज0।

अप्रार्थी

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री रोशनलाल शर्मा प्रार्थीगण।
एक तरफा अप्रार्थीगण।

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राज0काश्तकारी अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सर्व मुस्लिम समाज राशमी की तन्हा खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा ग्राम राशमी पटवार हल्का राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ में दर्ज रेकॉर्ड है साक्ष्य में नकल जमाबन्दी मौजा ग्राम राशमी 20[illegible]6–2076 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2020) से स्थायी पेश है जिसका विवरण निम्नानुसार है खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:46:22 IST
Reason: SelfAttested

641 आराजी नंबर 888 रकबा 0.1457 उपरोक्त आराजीयात सर्व मुस्लिम समाज की होकर प्रार्थीगण मुस्लिम समाज की और से उक्त आराजी के प्रतिनिधि है। प्रार्थना पत्र के साथ सर्व मुस्लिम समाज प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण/विपक्षीगण का नक्शा ट्रेस पेश हैं जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। अप्रार्थीगण की आराजीयात मौजा राशमी पटवार हल्का राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ में दर्ज रेकॉर्ड है अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की आराजीयात प्रार्थीगण की आराजीयात से सटमा होकर विपक्षीगण की आराजीयात मे से ही प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में प्रवेश करते है, अप्राथीगण/विपक्षीगण की आराजीयात की जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो संवत् 2076–2076 जमाबन्दी संवत 2077(2020 से स्थायी) तथा नक्शा ट्रेस पेश है अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की आराजीयात निम्नानुसार है खात संख्या 574 आराजी नम्बर 2465/887 रकबा 0.1295 उकतांकित आराजीयात अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज रेकॉर्ड है। इसी प्रकार अप्राथी संख्या 2 के नाम पर निम्नांकित आराजीयात खातेदार हक अधिकारों से दर्ज रेकॉर्ड है खाता संख्या 507 आराजी नंबर 887 रकबा 0.2428 है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण/विपक्षीगण मौजा राशमी के निवासी होकर प्रार्थना पत्र की कालम संख्या 01 व 02 मे वर्णित आराजीात के पडौसान है प्रार्थीगण अपनी आराजीयात आराजी नंबर 888 में प्रवेश करने के लिए नक्शा ट्रेस में दर्शाए आम रास्ता सडक जिसके नंबर 2529/899 दर्ज रास्ता से अप्रार्थीगण/विपक्षीगण की आरीयात आराजी नंबर 2465/887 व 887 की पश्चिम दिशा से होते हुए प्रार्थीगण की आराजी में सर्व मुस्लिम समाज प्रवेश करते चले आ रहे हैं प्रार्थीगण अपनी आराजीयात आराजी 888 मे आने जाने उपयोग उपभोग करने के लिए अप्राथीगण/विपक्षीगण की आराजीयात का कई वर्षो से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है,प्रस्तुत मानचित्र में दर्शाए रास्ते का उपयोग–उपभोग सर्व मुस्लिम समाज प्रार्थीगण काफी लंबे समय से ही निर्विघ्न रूप से करते चले आ रहे हैं। नजी मानचित्र में दर्शाए मर्ग के मध्य [illegible] रास्ता अप्राथीगण/विपक्षीगण की आराजीयात में से होकर गुजरता है [illegible] रास्ते की उपयोग उपभोग भी प्रार्थीगण अपने पुरखों के समय से ही करते चले आ रहे है,पूर्व में

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:46:22 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण की आराजीयात किस्म माल में अप्रार्थीगण/विपक्षीगण हंकाई कर कृषि उपयोग–उपभोग करने लगे हैं जिससे अप्रार्थीगण/विपक्षीगण को भी असुविधा होती है इससे प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में प्रवेश करने के लिए उक्त रास्ते को रास्ते के रूप में दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक होने से प्रार्थना पत्र पेश है। प्राथीगण की आराजीयात में प्रवेश करने के लिए विपक्षीगण की आराजीयात मे से होकर ही रास्ता उपलब्ध है विकल्प में अन्य कोई रास्ता नही होने से अप्राथीगण/विपक्षीगण की आराजीयात मे से होकर ही अपनी आराजीयात में प्रवेश किया जा सकता है इससे वर्षो से उपयोग–उपभोग होने से प्रार्थना पत्र पेश है। यह कि बिनया वाद दिनांक 04.02.2021 को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण/विपक्षीगण से निवेदन किया गया कि उक्त उपयोग उपभोग में लिए जा रहे रास्ते में दर्ज करवा दे। तथा उक्त रास्ते की जो भी किमत हो वह हम देने को तैयार है तथा यदि आप उक्त रास्ते की भूमि के बदले अन्य भमि चाहते है तो वह भी हम हमारी भूमि मे से देने को तैयार है किन्तु अप्राथीगण/विपक्षी के इंकार किए जाने से पैदा हो निरन्तर हरदिन,कर पल जारी है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्राथीगण को अपनी आरीयात आराजी नंब्र 888 में प्रवेश करने उपयोग–उपभोग करने के लिए नजरी मानचित्र में दर्शाए मार्क ABC बिन्दु के मध्य आराजी नंबर 2529/899 मे दर्ज रास्ते को मिलाते हुए 15 फिट चौडा रास्ता जो कि प्रार्थीगण की अपनी आराजीयात 888 में प्रवेश करने के लिए दिलवाया जावे।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया एवं अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 के तहसीलदार राशमी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया गया कि मौजा राशमी पटवार हल्का राशमी के विचाराधीन प्रकरण जिसमें सर्व मुस्लिम समाज राशमी की आराजीयात आराजी संख्या 888 है, उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजीयात मौजा राशमी पटवार हल्का राशमी की आराजी संख्या [illegible] में से रास्ता चाहते है।अतः मौका कमिश्नर से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त की जावें कि 1. ‘‘क्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:46:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है'', अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमाबंदी), 2. ''यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है'' तो मौका कमिश्नर प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत् सहमती का प्रयास करे एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षैत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें। (मय पर्चा मौका), 3. सहमति नहीं होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई ग चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगने की गणना क्षेत्रफल से कर पक्षकारान को दी जाने वाली राशि प्रस्तावित करें (मय पर्चा मौका)। मौका कमिश्नर निर्देशित किया गया कि बिन्दु संख्या 1 से 3 तक रिपोर्ट मय पर्चा मौका, नक्शा ट्रेस इत्यादि प्रस्तुत करे। दिनांक 30.03.2022 को अप्रार्थीगण हाजरी नही होने से न्याय हित में एक अवसर दिया गया। किन्तु दिनांक 28.04.2022 को अप्रार्थीगण बावजुद सुचना हाजिर नही आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।पत्रावली में तहसीलदार राशमी के पत्रांक/एलआर/2022/939 दिनांक 14.07.2022 से मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई जिसे रेकॉर्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा तहसीलदार राशमी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट पर सहमति जाहिर कर निवेदन किया गया कि रास्ते हेतु चाही गई भूमि के बजाया प्रार्थीगण के आराजीयात से प्रस्तावित रास्ता के भूमि प्रार्थीगण की आराजी मे से कम की जावे तो हमे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार राशमी द्वारा अवगत कराया गया की प्रार्थी की आराजीयात पर पहुँचने के लिए वैकल्पिक रास्ता नही है एवं पक्षकारान राजीनामें बाबत् सहमत है एवं प्रार्थीगण समस्त मुस्लिम समाज ग्राम राशमी की आराजीयात पर पहुँचन के लिए आराजी संख्या 887 मे से रकबा 132 वर्गमीटर रास्ता देने हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसके अनुरूप उपस्थित प्रार्थीगण [illegible] अधि द्वारा चाहा गया रास्ता के बदले समस्त मुसलमान समाज राशमी की खातेदारी आराजीयात आराजी संख्या 888 मे से 132 वर्गमीटर भूमि में से उतनी भूमि देने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:46:22 IST
Reason: SelfAttested

सहमति दि गई। रिपोर्ट तहसीलदार राशमी अनुसार एवं प्रार्थीगण प्रतिनिधि समस्त मुसलमान समाज राशमी द्वारा साबित कराया गया है कि प्रार्थीगण प्रतिनिधि समस्त मुसलमान समाज राशमी की खातेदारी आराजीयात पर पहुॅचने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'अ' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। जहॉ तक रास्ते का प्रश्न है प्रार्थीगण प्रतिनिधि समस्त मुसलमान समाज राशमी को ऐसा रास्ता दिया जाये जिसमें कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं हो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण प्रतिनिधि समस्त मुसलमान समाज राशमी को अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 887 मे से 132 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। जहॉ तक रास्ते हेतु प्रतिकर का सवाल है जिसमें उपस्थित प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते के बदले प्रार्थीगण प्रतिनिधि समस्त मुसलमान समाज राशमी की आराजीयात दिये जाने हेतु सहमती दी है।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'अ' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 887 में से 132 वर्गमीटर भूमि बिलानाम सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें एवं प्रार्थीगण प्रतिनिधि सर्व मुस्लिम समाज राशमी की आराजी संख्या 888 मे से 132 वर्गमीटर भूमि अप्रार्थीगण रहमान पुत्र रमजु जाति मुसलमान सा0देह खातेदारी भूमि में जोडा जाकर प्रार्थीगण की आराजी सं0 888 मे से उक्त रकबा कम किया जावें। इस हेतु तहसीलदार राशमी को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम करवाई जावें।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

तहसीलदार राशमी को आदेशित किया जाता है कि रास्ते हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 887 में से 132 वर्गमीटर मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार 132 वर्गमीटर भूमि बिलानाम सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकॉर्ड की जावें। एवं प्रार्थीगण प्रतिनिधि सर्व मुस्लिम समाज राशमी की आराजी संख्या 888 मे से 132 वर्गमीटर भूमि अप्रार्थीगण रहमान पुत्र रमजु जाति मुसलमान सा0देह की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:46:22 IST
Reason: SelfAttested

भूमि में जोडा जाकर प्रार्थीगण प्रतिनिध सर्व मुस्लिम समाज राशमी की आराजी सं० 888 मे से उक्त रकबा कम किया जावें। प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार नक्शें मे आवश्यक तरमीम की जावें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक को 29.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीता वसीटा)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2022.10.21 15:46:22 IST
Reason: SelfAttested